मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1375

08.12.2025 को उत्तर के लिए

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्यों के बीच समन्वय

1375. श्री बंटी विवेक साहू :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, परिवर्तित हरित पट्टी मानदंडों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परिवर्तित हरित मानकों का मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित या चल रही औद्योगिक परियोजनाओं पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) संशोधित हरित पट्टी मानदंड, मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में लागू होते हैं और इन मानदंडों को जारी करने के बाद दी जाने वाली सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियां लागू होंगी। संशोधित हरित पट्टी/हरित आवरण मानदंडों के लिए एक निगरानी प्रणाली प्रदान की गई है, जिसके तहत, औद्योगिक एस्टेट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) ड्रोन इमेजरी सहित कैनोपी आवरण, मोजूदा पेड़ों की संख्या, ऊंचाई और प्रजाति, अस्तित्व दर आदि की सूचना को एक छमाही हरित पट्टी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। औद्योगिक एस्टेट द्वारा प्रस्तुत हरित पट्टी विवरण को समय-समय पर आईआरओ और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

संशोधित हरित पट्टी मानदंड मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले सहित पूरे देश में सभी आगामी परियोजनाओं पर लागू होंगे। संशोधित मानदंड हरित पट्टी/हरित आवरण विकसित करने की पर्यावरणीय जरूरतों से समझौता किए बिना अपने संचालन का विस्तार करने के लिए उद्योगों को अतिरिक्त भूमि क्षेत्र का लाभ प्रदान करते हैं।

*****